

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018—फाल्गुन 30, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. एफ 2-06-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.1	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 2.00 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	10 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें	15 कार्य दिवस.	स्वास्थ्य आयुक्त.
12.2	विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना.	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.3	दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना.	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. (ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र छोड़कर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	07 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
12.4	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण करना.	जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए सिविल सर्जन. शेष क्षेत्र के लिए विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. जिला टीकाकरण अधिकारी.	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
12.5	आवेदक की आयु का चिकित्सा सत्यापन.	सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
12.6	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.
12.7	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोउपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.	15 कार्य दिवस	संचालक अस्पताल प्रशासन.
12.8	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोउपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.	15 कार्य दिवस	संचालक अस्पताल प्रशासन.
12.9	चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना.	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए चिकित्सा अधिकारी. (ब) जिला मुख्यालय को छोड़कर शेष के लिए चिकित्सा अधिकारी.	01 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. कलेक्टर	07 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	कलेक्टर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें.